न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः—अशोक रांगवा R.A.S.
न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः—03/2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के—2497)
राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम्

श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (प्रोपराईटर),वार्ड नं.—12 दुर्गा मंदिर के पास, अनूपगढ़ **मैसर्स**—गंगा फेमिली रेस्टोरेंट, राजकीय चिकित्सालय के पास, अनूपगढ़।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

—:निर्णयः—

दिनांकः—29.08.2025

यह इस्तगासा श्री हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) व धारा 51 के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम दिनांक 11.10.2024 को समय 07:15 पी. एम. बजे पर मैसर्स—गंगा फैमली रेस्टोरेन्ट, राजकीय चिकत्सालय के पास, अनूपगढ, श्रीगंगानगर पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (प्रोपराइटर), को अपना परिचय देकर संस्थान के फ्रीज में एक प्लास्टिक कैन में रखे लगभग 4—5 किलो पनीर (खुला) के बारे में जानकारी चाही इस विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का प्रोपराइटर बताया तथा संस्थान के एक फ्रीज में एक प्लास्टिक कैन में रखे लगभग 4—5 किलों पनीर (खुला) सब्जी तैयार को आमजन को खाने मे परोसने वास्ते बताया जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से पनीर (खुला) बर्फी मिठाई नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म नं.—5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे पनीर (खुला) में से एक किलों पनीर (खुला) विक्रेता सें खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा पनीर का नगद भुगतान 320/— रुपये किया तथा कैशमिमों बनवा लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है ओर मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5. ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (प्रोपराइटर) को एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर (खुला) एक किलो को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ—सुथरे सुखे डिब्बे में परिरक्षक फार्मेलिन की 20—20 बूंदे डालकर कराकर ढक्कन बंद किये और चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के—2497 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं के—2497 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4—4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एव रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA /2024/1292–94 दिनांक 19.11.2024 के अनुसार खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर** (खुला) Sub standard food होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जॉच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/1292–94 दिनांक 19.11.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 22.01.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/187–88 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (प्रोपराइटर), निवासी वार्ड नं. –12 दुर्गा मन्दिर के पास अनूपगढ मैसर्स– गंगा फैमली रेस्टोरेन्ट, राजकीय चिकत्सालय के पास, अनूपगढ, श्रीगंगानगर से खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) Sub-standard Food का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात विक्रेता व मालिक एफ.एस.एसए, 2006 की धारा–31 (2) की श्रेणी में आता है। प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना **सब स्टैण्डर्ड** या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बताया क्यों कि पनीर बनाने के लिए काफी दूध की आवश्यकता होती है तथा वह दूध कई किस्म की गायों के दूध के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कुछ नस्ल की गायों के दूध में उपस्थित फैट कम मात्रा में तथा कुछ का ज्यादा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ

मात्रा में नस्ल के हिसाब से पाया जाता है। प्रार्थी ने कार्यवाही इसी स्तर पर निरस्त करने का निवेदन किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट L.S. 1226/Act/2024/904 दिनांक 22.10.2024 में खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2497** Sub standard food पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, विक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना Sub standard food होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा Sub standard Food खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार, विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा Sub standard food खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोडा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26 (2) (11). 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26 (2) (11), 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई हेतु **श्री संजय प्रकाश पुत्र श्री नारायण दास (प्रोपराइटर), निवासी वार्ड नं.–12 दुर्गा मन्दिर के पास अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर** को 1,00,000/– (एक लाख रूपये) रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक–29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़